



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2022-23/

जयपुर, दिनांक:

-: अधिसूचना :-

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 951(19)(41) परावि/ लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/सुविधा/210 दिनांक 21.02.2023 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य/जनप्रतिनिधियों के मानदेय की दरों में माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया के द्वारा दिनांक 08.02.2024 की बजट घोषणा के बिन्दु सं.-48 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
मानदेय की दरें -

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिमाह
1	2	3
जिला प्रमुख, जिला परिषद	13800/-	15180/-
प्रधान, पंचायत समिति	9660/-	10626/-
संरपच, ग्राम पंचायत	5520/-	6072/-

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 332400440 दिनांक 14.03.2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2024 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक:- एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2022-23/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।

RajKaj Ref

6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पंचायती राज विभाग।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, पंचायती राज विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान गजट पत्र भाग-4 में कृपया तत्काल प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।

(प्रताप सिंह पूनिया)
वित्तीय सलाहकार